10 वर्ष की स्कूल शिक्षा के संबंध में शैक्षिक ढांचे में विभिन्नताएं हैं।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में भी 10+2 ढांचे की अच्छाइयों की पुनः पुष्टि की गई है, जिसके लाभ राज्यों में पहले ही विद्यमान ढांचों में इस प्रकार हैं :—

(i) सरकार के मार्गदर्शी निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता बढ़ाने अन्तर क्षेत्रीय गतिशीलता को प्रोत्साहन देने और स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए देश भर में स्कूल शिक्षा की मोटे तौर पर एक समान पद्धति।

(ii) विज्ञान और भाषाओं पर महत्व के साथ दस वर्ष की सामान्य समरूप शिक्षा ताकि छात्र विकासशील विज्ञान उन्मुख जगत का सामना कर सके।

(iii) +2 स्तर पर अनेक समरूप शाखाओं जैसे मानविकी विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत +2 स्तर पर उपयुक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना ताकि बड़ी संख्या में छात्रों को कार्यजगत में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया जा सके और इससे उच्चतर/व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के दबाव को कम किया जा सके। यह 10+2 प्रणाली का प्रमाणांक है।

(iv) स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षण के स्तरों, अनुदेशात्मक सामग्री और स्कूल पाठ्यचर्या में व्यापक समानता लाना जिससे संपूर्ण देश में सामान्य स्तर को बढ़ाया जा सके।

(ग) प्राथमिक स्कूलों के स्तरों में व्यापक एकरूपता लाने के लिए प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षा के न्यूनतम स्तर रखे गये हैं। प्राथमिक स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में विषमताओं को दूर करने के लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना में प्राथमिक स्कूलों में कम से कम दो कमरे, जो सभी मौसमों में काम आ सकें, दो शिक्षक और आवश्यक शिक्षण/अध्यापन सामग्रियां प्रदान करने की व्यवस्था है। सरकार की नीति है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।

इंटरमीडिएट कक्षाओं के पश्चात् कला विषयों और कानून की शिक्षा को रोक देना संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की रोक लगाने से विद्यार्थी इन विषयों को चुनने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि इन विषयों के पाठ्यक्रम को शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं/विभाग बंद हो जाएंगे और इन पाठ्यक्रमों के अध्ययन से लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को आजीविका के अवसरों में रुकावट पैदा हो जाएगी।

भारतीय सांख्यिकीय सेवाओं के संवर्ग का पुनर्विलोकन

36. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगठित सेवाओं में श्रेणी "क" के अधिकारियों के संवर्ग का पुनर्विलोकन प्रत्येक पांच वर्ष के बाद करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवाओं में कभी कोई संवर्ग-पुनर्विलोकन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवाओं के संवर्ग का पुनर्विलोकन अब सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो पुनर्विलोकन का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानेय गोवर्धन) : (क) समूह